

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(1)राज/वाद/09

जयपुर, दिनांक 12-11-2018

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.10.18 द्वारा नव सृजित 55 विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में तात्कालिक आवश्यकता को पूरित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आगामी आदेशों तक या स्थाई रूप से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियाँ प्रदत्त की गई थी।

उक्त आदेश दिनांक 09.10.18 को क्र०सं० 1, 7, 21, 39, 42, 43 एवं 53 के संबंध में अतिक्रमिit करते हुये कालम सं० 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कालम सं० 3 में वर्णित विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियाँ एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती है।

क्र०सं०	विशेष न्यायालय का नाम	अभियोजकगण का पदनाम
1	2	3
1	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं० 1, अजमेर	विशिष्ट लोक अभियोजक (डेजिग्नेटेड कोर्ट) अजमेर
2	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 बालोतरा, जिला बाडमेर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बालोतरा जिला बाडमेर
3	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 धौलपुर	विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.ज./अ.ज.जा.) धौलपुर
4	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं० 1, कोटा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०1, कोटा
5	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं० 4, कोटा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०5, कोटा
6	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं० 5, कोटा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०6, कोटा
7	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, टोंक	विशिष्ट लोक अभियोजक (सांप्रदायिक दंगे प्रकरण), टोंक

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से



12/11

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

निरन्तर/-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. संबंधित न्यायालय।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक अभियोजक, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. संबंधित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक-----।
14. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
15. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

5